IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

CIVIL WRIT No. 1007 of 2004

SURENDRA KUMAR
V/S
ACHLURAM & ANR.

Mr. RK THANVI, for the appellant / petitioner

Mr. RR NAGORI, for the respondent

Date of Order : 11.9.2007

HON'BLE SHRI N P GUPTA,J.

ORDER

Heard learned counsel for the parties.

By this writ petition, the petitioner seeks to challenge the order Annex.5, whereby two applications being Annex.3 and 4 have been decided. Both these applications were filed by each of the parties for amendment of the issues. In the impugned order, Annex.5, dated 8.2.2001 originally framed 5 issues have been cataloged. Deciding the plaintiff's application, the learned trial Court found that issue No.1 as originally framed is required to be deleted, and instead new issue is required to be framed, which has been framed. Then instead of existing issue No.2, two issues have been framed as issue No.2A and 2B. Likewise, after issue No.3, additional issue No.3A has been framed. While application filed by the petitioner for framing two issues has been dismissed.

Long drawn submissions were made by both the learned counsel challenging the impugned order. However, after going through the pleading, and with the consensus of the learned counsel, the issues are reframed/recast as under:-

1- आया दावे की कलम संख्या 1 में वर्णित संपति संख्या ए-82, की जमीन श्री मोहनलाल द्वारा संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्त्ता होने के कारण अपने नाम से है इस प्रकार यह मकान संयुक्त हिन्दू परिवार का हो गया ?

वादी

2- आया उक्त प्लोट संख्या 82 श्री मोहनलाल ने प्रतिवादी के पैसे से स्वयं एवं मोहनलाल के नाम से क्रय किया, जिस मकान का निर्माण अपने पैसे से किया एवं वाद पर इसका क्या असर है ?

प्रतिवादी

3- आया प्रतिवादी ने श्री मोहनलाल द्वारा उक्त प्रकार जमीन क्रय करने के बाद अपनी स्वअर्जित आय से मकान संख्या ए-82, शास्त्रीनगर स्थित निर्मित किया एवं उसका वाद पर क्या असर है ?

प्रतिवादी

4- आया पक्षकारान के पिता मोहनलाल ने अपने जीवन काल में प्रतिवादी के पक्ष में एस वसीयत नामा दि.24.6.83 को निष्पादित किया था ?

प्रतिवादी

5- अगर यदि तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष में साबित हो जाये एवं तनकी संख्या 4 भी प्रतिवादी के हक में सिद्ध हो जाये तो वसीयत का क्या असर है ?

प्रतिवादी

6- आया समस्त तनकियात के निर्णयों के परिप्रेक्ष्यों में यू.आई.टी. के द्वारा पारित लीज डीड का क्या प्रभाव है अथवा आया जिस कदर लीज डीड जारी की है यू.आई.टी. को वह लीज डीड जारी करने का अधिकार था ?

प्रतिवादी

The writ petition is, accordingly, allowed as above.

(N P GUPTA),J.

/tarun/